Title : Union Territory of Jammu and Kashmir Budget, 2023-24-General Discussion and

Demands for Grants- Union Territory of Jammu and Kashmir, 2023-24 and

Demands for Supplementary Grants - Union Territory of Jammu and Kashmir, 2022?23 and

Demands for Supplementary Grants? Second Batch, 2022?23.

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 22 टू आइटम नम्बर 25 एक साथ लिए जा रहे हैं।

?(व्यवधान)

माननीय सभापति : जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का बजट, माननीय मंत्री जी।

?(व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): आइटम नम्बर 22, आइटम नम्बर 23, आइटम नम्बर 24, आइटम नम्बर 25, ये आवश्यक हैं, जो एजेंडा में हैं।?(व्यवधान) सभापति महोदय, इन्हें चर्चा करा कर पास करा दें।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

> ?कि अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्याओं 1 से 36 के सामने दर्शाये गये मांग शीर्षों के संबंध में, 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जायें।?

?कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 8, 10, 17, 22, 24, 30, 32, 34 और 36 के सामने दर्शाये गये मांग शीर्षों के संबंध में, 31

मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जायें ।?

?कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 16, 18 से 30, 32, 35 से 38, 41 से 46, 49, 51, 52, 55 से 58, 60 से 62, 64 से 66, 68, 69, 71, 76 से 79, 85, 86, 88 से 95, 98, 100 और 102 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्षों के संबंध में, 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं ।

माननीय सभापति : श्री जुगल किशोर शर्मा ।

*m04 **श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू):** आदरणीय सभापति जी, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे वित्तीय बजट और जम्मू कश्मीर के बजट पर बोलने का मौका प्रदान किया ।? (व्यवधान) महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का जो मौका दिया है, उसके लिए मैं इस गरिमामयी सदन के समक्ष माननीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी, पंकज चौधरी जी और इनकी जितनी भी टीम है, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं ।? (व्यवधान) साथ ही, मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी ने सभी प्रमुख बातों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय बजट सदन में प्रस्तुत किया है ।? (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वित्तीय बजट के साथ-साथ जम्मू कश्मीर का इस बार का जो बजट आया है, वह बहुत ही सराहनीय बजट है ।? (व्यवधान) यहां पर विपक्ष के जो कांग्रेसी सांसद हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पर चर्चा हो रही है ।? (व्यवधान) जम्मू कश्मीर के लोगों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी सीटों पर चले जाएं और जम्मू कश्मीर की बात आगे ले जाएं ।? (व्यवधान) पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर को बहुत ही अच्छा बजट केन्द्र सरकार ने प्रदान किया है ।? (व्यवधान) वित्तीय बजट में बहुत सी ऐसी बातों का ध्यान रखा गया है, जिससे देश के हर नागरिक को फायदा मिल सकता है ।? (व्यवधान) मैं विस्तार में न जाते हुए, कुछ खास बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।? (व्यवधान) मैं रेलवे, जनधन योजना, नाबार्ड द्वारा किसानों की आर्थिक मदद, मनरेगा के अलावा बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, जिन पर मैं चर्चा कर सकता हूं, लेकिन विशेष तौर पर मैं जम्मू कश्मीर के बजट पर अपनी बात रखना चाहता हूं ।? (व्यवधान) जम्मू कश्मीर के लिए इस बजट में प्रावधान रखा गया है, जिसमें हर वर्ग और हर क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि रखी गई है ।? (व्यवधान) लगभग 1 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा की राशि जम्मू कश्मीर के लिए? (व्यवधान)

*m05 **माननीय सभापति** : अब मैं वर्ष 2023-2024 के लिए केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुदानों की मांगों को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है**:**

?कि अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्याओं 1 से 36 के सामने दर्शाये गये मांग शीर्षों के संबंध में, 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और

कश्मीर की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जायें ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब मैं वर्ष 2022-23 के लिए केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुदानों की अनुपूरक मांगों को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है:

?कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 8, 10, 17, 22, 24, 30, 32, 34 और 36 के सामने दर्शाये गये मांग शीर्षों के संबंध में, 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शाई गयी राजस्व लेखा तथा पूँजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जायें ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब मैं वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें ? द्वितीय बैच सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ ।

प्रश्न यह है ?

?कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 16, 18 से 30, 32, 35 से 38, 41 से 46, 49, 51, 52, 55 से 58, 60 से 62, 64 से 66, 68, 69, 71, 76 से 79, 85, 86, 88 से 95, 98, 100 और 102 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्षों के संबंध में, 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शायी गयी राजस्व लेखा तथा पूँजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियाँ भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें ? द्वितीय बैच पारित हुईं ।

? (व्यवधान)

-